निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 129/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

गोपाल पुत्र श्री रामलाल दत्तक पुत्र श्री नारायण जाति मीना निवासी ग्राम खोरी, रोपाडा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती मुक्ता राव आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय ।
2. श्रीमती छोटा पुत्री नारायण पत्नी घनश्याम जाति मीना, निवासी 12 मील, सीतापुरा, टोंक रोड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
3. रामप्यारी पुत्री नारायण पत्नी कजोड जाति मीना निवासी रामसिंहपुरा, कानोता, स्टेशन के सामने, तहसील बस्सी ।
4. गोपी पत्नी रामनाथ
5. जगदीश नारायण पुत्र रामपाल
6. रामसहाय पुत्र गंगाराम

समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम खोरी रोपाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

7. कल्ली पुत्री रामपाल
8. कैलाशी पुत्री रामपाल
9. बरजी पत्नी रामपाल

समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम किशनपुरा, मनरूपपुरा, तहसील बस्सी ।

10. भौरी पुत्री रामपाल पत्नी फैलीराम जाति मीना निवासी जगतपुरा फाटक के सामने, तहसील संगानेर जिला जयपुर ।
11. भैरू पुत्र गांगाराम
12. शंकर लाल दत्तक पुत्र भगवाना

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम खोरी रोपाडा, तहसील सांगनेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 64/2023 ब उनवानी गोपाल बनाम छोटा व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री मंगल चन्द बागडा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री योगेन्द्र सिंह राजावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक 21.10.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 64/2023 ब उनवानी गोपाल बनाम छोटा व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से वकील श्री योगेन्द्र सिंह राजावत ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त वाद में न्यायालय के समक्ष वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट कब्जे काश्त के विपरीत पेश की गई है। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पेश किये जाने से पूर्व वादी को कोई नोटिस नहीं दिया गया। तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट कब्जे काश्त के विपरीत तैयार की गई है तथा कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 के विपरीत तैयार किये गये है। वादी/प्रार्थी द्वारा उक्त कुर्रेजात आपत्ति अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किया है अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 3 के पति व अन्य अप्रार्थी जो कि राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जो धन बल मे भी सक्षम है जो अपने राजनैतिक व धनबल के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को अपने प्रभाव में ले रखा है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 द्वारा व उनके परिवार द्वारा गावं के लोगों को यह कहा जा रहा है कि उक्त प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजत आपत्ति खारिज फरमा दी जायेगी और उक्त भूमि का विभाजन हमारे पक्ष में ही होगा। अप्रार्थीगण के उक्त कथनों से वादी/प्रार्थी को पूर्ण अन्देशा हो गया कि अप्रार्थी संख्या 1 अन्य अप्रार्थीगण के लोभ व प्रलोभन में है जिसके चलते वादी/प्रार्थी प्रस्तुत आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया जायेगा । प्रार्थी को कोई न्याय मिलने की दूर दूर तक आशा नहीं है। इसलिए प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यांयालय में स्थानान्तरित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये कथन किया कि प्रार्थी/वादी गोपाल द्वारा उक्त अन्तरण प्रार्थना पत्र पूर्णतः गलत व मिथ्या तथ्यों के आधारों पर पेश किया गया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी गोपाल को कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया व कुर्रेजात रिपोर्ट पर सभी पक्षकारान को पर्याप्त तौर पर व्यक्तिगत रूप से भी सुना गया है, किन्तु फिर भी गोपाल ने बिना किसी आधार के उक्त अन्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया है। वादी गोपाल उक्त विभाजन के वाद को अन्तिम रूप से निर्णित होने से रोकना है एवं यह चाहता है कि भूमि

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

ऐसे ही विवादित पड़ी रहे। यही कारण है कि उसने मात्रप्रकरण में आज तक लम्बित करने की कार्यवाहियां की है व कभी प्रकरण को आगे नही बढने दिया। उक्त वादग्रस्त भूमि के कुर्रेजात तैयार किये जाते समय गोपाल मौके पर उपस्थित रहा फिर भी उसने अपने हस्ताक्षर नहीं किये व अब बेबुनियाद आधारों पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण के विचारण को बाधित कर दिया। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें ।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय की पीठासीन अधिकारी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त कर कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश रिजर्व है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर